संख्याः E153350 /52507 /FCD-IRFC/FSFC/6/2023

प्रेषक,

सी. रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
डाण्डालखौण्ड, नियर आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनःदिनांकः 19 सितम्बर, 2023

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला पंचायतों को तृतीय त्रैमासिक किश्त तथा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को द्वितीय छःमाही किश्त की धनराशि संक्रमित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की तृतीय त्रैमासिक किश्त तथा समस्त क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को द्वितीय छःमाही किश्त हेतु कुल ₹2660525000.00 (₹दो सौ छियासठ करोड़ पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार एवं संलग्न विवरणानुसार संक्रमित किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रम संख्या	पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24		अभ्युक्ति
		किश्त का विवरण	संक्रमित धनराशि (₹हजार में)	
1	*2*	*3*	4	5
1–	जिला पंचायतें	तृतीय त्रैमासिक	613975	संलग्नक–1
2–	क्षेत्र पंचायतें	द्वितीय छमाही	573050	संलग्नक–2
3–	ग्राम पंचायतें	द्वितीय छमाही	1473500	संलग्नक–3
	योग		2660525	

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही है:–

1– यह धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही है। धनराशि के उपयोग के लिये वित्त विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्याः 266/(वि0आ0निदे0) XXXVII(1)/2022, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारण किये गये हैं, जिसकी प्रति पूर्व में ही प्रेषित की गई है। तद्नुसार समस्त निर्देशों का परिपालन करते हुए धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 132/xxvii(6)/430/ एक/ 2008/ 2019 दिनांकः 29 मार्च, 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार धनराशि आहरित कर संबंधित जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को PFMS के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार हस्तान्तरित की जायेगी। ग्राम पंचायतों के मामले में धनराशि संलग्न विवरणानुसार तत्काल जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तान्तरित की जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा PFMS के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरित की

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 15/09/2023 11:28 AM

जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज व जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

3– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को संक्रमित होने वाली धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम जिला पंचायत में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर किया जायेगा।

4– आयोग के संक्रमण सूत्र के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2023–24 में संक्रमण धनराशि ₹2.00 लाख से कम हो रही है, को न्यूनतम ₹2.00 लाख की धनराशि संक्रमित की जा रही है।

5– जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रख–रखाव एवं सृजन पर व्यय कर सकेंगी। ऐसी जिला पंचायतें जिनके पास अपने कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं है, शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकेंगी।

6– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतीराज विभाग के नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु अलग से बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।

7– ग्राम पंचायतों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र, स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु न्यूनतम ₹500/– व अधिकतम ₹1000/–प्रतिमाह संक्रमित की जा रही धनराशि से आकस्मिकता मद में व्यय करने की अनुमति होगी।

8– कोविड–19 अथवा अन्य कोई संक्रामक बीमारी के फैलने तथा सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित किये जाने की स्थिति में संक्रमित की गई धनराशि का 10 प्रतिशत भाग आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त घोषित महामारी के बचाव हेतु व्यय किया जायेगा।

9– त्रिस्तरीय पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की स्थापना के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर पंचायत सड़कों का निर्माण, सरकारी भवनों का रख–रखाव, खुले में शौच से मुक्ति, सरकारी भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयकों (स्ट्रीट लाईट) का भुगतान, पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव, जलापूति, जल निकासी एवं स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, रोजगार सृजन योजनाओं के साथ–साथ संशाधन जुटाने जैसी नागरिक सुविधाऐं प्रदान करना है। इस के अतिरिक्त सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, आगंनबाडी भवनों का निर्माण /अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण, अन्त्येष्टि स्थलों की बाउन्ड्री, समुदायिक भवनों के निर्माण करने के साथ–साथ जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को इण्टर कनैक्टिविटी (ग्राम पंचायतों को एक दूसरे से जोड़ने हेतु रास्तों /सड़कों का निर्माण) सम्बन्धी कार्य कराये जा सकते हैं।

10– उक्त कार्यो के साथ–साथ ग्राम पंचायतें पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अध्याय–5 की धारा–23 (समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम) में उल्लिखित कार्यो को भी आवश्यकतानुसार करा सकेंगी।

11– जिला पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर व क्षेत्र पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमुख, क्षेत्र पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज से प्रतिहस्ताक्षरित कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा तीनों स्तरों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त उनको प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (वित्तीय व भौतिक प्रगति) भी संलग्न करना आवश्यक होगा। संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायतों द्वारा 31

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 15/09/2023 11:28 AM

I/153350/2023

दिसम्बर, 2023 तक तथा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 31 मार्च, 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त ही अगली किश्त की धनराशि संक्रमित की जायेगी।

12– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए पंचायती राज निदेशालय स्तर पर निदेशक तथा जिले स्तर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी /विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

13– संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

14– अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

15– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–111469 /09(150) /2019 /XXVII(1)/2023, दिनांकः 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– संक्रमित की जा रही धनराशि का जिला पंचायतवार, क्षेत्र पंचायतवार व ग्राम पंचायतवार विवरण संलग्न है तथा ई–मेल से भी विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है। अलाटमेंन्ट आई.डी. भी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।

17– शहरी स्थानीय निकायों के परिसीमन तथा नई नगर पंचायतें/नगर पालिकाओं के गठित होने के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की जनसंख्या व क्षेत्रफल भी परिवर्तित हो गया है, जिसके कारण त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि में आंशिक कमी अथवा वृद्धि सम्भावित है।

18– यदि किसी ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से नगर निगम/नगर पालिका परिषद् /नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई ग्राम पंचायत का गठन हो गया हो अथवा किसी शहरी निकाय में सम्मिलित ग्राम पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा शहरी स्थानीय निकाय को अवमुक्त धनराशि का हस्तान्तरण वित्त विभाग के शासनादेश सं0–822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं0–1344/XXVII(1)/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्थानुसार किया जायेगा, जिसकी सूचना सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पारित आय–व्ययक अनुदान की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा :–

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संक्रमित की जा रही धनराशि (₹ हजार में)
1	*2*	*3*	*4*
1–	जिला पंचायतें	**3604**–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन– 00–200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–05 – जिला पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–69–समनुदेशन के नामे डाला जायेगा।	613975

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 15/09/2023 11:28 AM

I/153350/2023

2–	क्षेत्र पंचायतें DDO	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00– 200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 02–राज्य वित्त आयोग –07–क्षेत्र पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन, 69–समनुदेशन के नामें डाला जायेगा।	573050
3–	ग्राम पंचायतें HOD	3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00– 200– अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, 02–राज्य वित्त आयोग –08–ग्राम पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन, 69–समनुदेशन के नामें डाला जायेगा।	1473500
योग			2660525

(₹दो सौ छियासठ करोड़ पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र)

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Signed by C Ravi Shankar
Date: 12-09-2023 13:32:05

(सी.रवि शंकर)

अपर सचिव, वित्त।

संख्या: **E 153350 /52507/ FCD-IRFC/FSFC/6/2023 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुँमाऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223, विश्वकर्मा, भवन देहरादून, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड,,उत्तराखण्ड–देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 वित्त मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री जी को मा0 पंचायतीराज मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
13. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

(सी.रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 15/09/2023 11:28 AM

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में तृतीय तिमाही किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का विवरण।

(₹हजार में)

क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 की तृतीय तिमाही हेतु संक्रमित धनराशि।
1	*2*	*3*
1	अल्मोड़ा	50354
2	बागेश्वर	29955
3	चमोली	49726
4	चम्पावत	21682
5	देहरादून	49888
6	हरिद्वार	92730
7	नैनीताल	33712
8	पौड़ी गढ़वाल	55354
9	पिथौरागढ़	44961
10	रूद्रप्रयाग	25160
11	टिहरी गढ़वाल	51793
12	उधमसिंह नगर	76137
13	उत्तरकाशी	32523
	योग	**613975**

(₹इकसठ करोड़ उनतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Signed by C Ravi Shankar
Date: 12-09-2023 13:32:20

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/10/2023 10:20 AM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-Director Panchayati Raj(2283)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H23090070051
आवंटन पत्र दिनांक-19-SEP-2023

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट
05-जिला पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन (3604021960003 से स्थानांतरित)

00--
02-राज्य वित्त आयोग

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	5

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	1227950000	613975000	1227950000	1841925000
योग	1227950000	613975000	1227950000	1841925000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.61,39,75,000 (Rupees Sixty One Crores Thirty Nine Lacs Seventy Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2309:0010
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

I/153352/2023 पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय छःमाही किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का विवरण।

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छःमाही हेतु संकमित धनराशि।
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	95	5408
	2	ताकुला	89	4782
	3	धौलादेवी	110	6620
	4	भैंसियाछाना	53	3643
	5	हवलबाग	126	6526
	6	लमगड़ा	103	5811
	7	द्वाराहाट	122	6209
	8	सल्ट	138	5615
	9	भिक्यिासैण	99	3336
	10	ताड़ीखेत	130	5685
	11	चौखुटियाँ	95	4870
		योगः–	**1160**	**58505**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	119	9928
	2	गरूड़	102	6692
	3	बागेश्वर	182	8738
		योगः–	**403**	**25358**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	94	5369
	2	जोशीमठ	58	13822
	3	दशोली	63	5120
	4	घाट	55	5194
	5	पोखरी	72	4647
	6	गैरसैण	95	6523
	7	थराली	48	4314
	8	देवाल	46	4236
	9	नारायणबगड़	79	4762
		योगः–	**610**	**53987**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	67	4080
	2	बाराकोट	48	3808
	3	पाटी	85	5860
	4	चम्पावत	113	8216
		योगः–	**313**	**21964**
5–देहरादून	1	डोईवाला	36	7231
	2	रायपुर	35	2161
	3	सहसपुर	50	8397
	4	विकासनगर	53	10400
	5	चकराता	116	5421
	6	कालसी	111	4730
		योगः–	**401**	**38340**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	53	13338

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/10/2023 10:19 AM

I/153352/2023

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छःमाही हेतु संक्रमित धनराशि।
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	2	खानपुर	23	3734
	3	रूड़की	43	10554
	4	नारसन	58	13211
	5	लक्सर	49	10879
	6	बहादराबाद	70	19772
		योगः–	**296**	**71488**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्ड़ा	75	4284
	2	भीमताल	60	3244
	3	बेतालघाट	75	3032
	4	हल्द्वानी	60	6375
	5	रामनगर	53	5996
	6	रामगढ़	59	3753
	7	कोटाबाग	56	4433
	8	धारी	41	2316
		योगः–	**479**	**33433**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	97	4832
	2	द्वारीखाल	97	3576
	3	दुगड्डा	67	2217
	4	एकेश्वर	82	2691
	5	जयहरीखाल	73	2524
	6	कल्जीखाल	87	3476
	7	खिर्सू	50	3279
	8	कोट	69	3864
	9	नैनीडांडा	88	3935
	10	रिखणीखाल	81	3521
	11	थलीसैण	103	5714
	12	यमकेश्वर	86	4576
	13	पौड़ी	63	3725
	14	पाबो	72	4205
	15	पोखड़ा	58	3396
		योगः–	**1173**	**55531**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	117	7555
	2	मुनाकोट	76	6259
	3	कनालीछीना	92	6155
	4	धारचूला	62	6820
	5	पिथौरागढ़	85	6654
	6	डीडीहाट	71	5385
	7	मुनस्यारी	99	7209
	8	बेरीनाग	84	5849
		योगः–	**686**	**51886**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	159	9448
	2	जखोली	108	7369
	3	ऊखीमठ	69	5602

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/10/2023 10:19 AM

I/153352/2023

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छःमाही हेतु संक्रमित धनराशि।
1	2	3	4	5
		योगः–	**336**	**22419**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	118	4523
	2	कीर्तिनगर	97	5123
	3	चम्बा	104	4410
	4	देवप्रयाग	104	4618
	5	भिलंगना	182	8465
	6	थौलधार	93	4804
	7	जौनपुर	146	6231
	8	प्रतापनगर	98	5613
	9	जाखणीधार	92	5006
		योगः–	**1034**	**48793**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	64	11191
	2	सितारगंज	74	11496
	3	रूद्रपुर	42	6974
	4	गदरपुर	52	8428
	5	बाजपुर	58	8859
	6	काशीपुर	33	5395
	7	जसपुर	52	8041
		योगः–	**375**	**60384**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	84	5860
	2	डुण्डा	101	5609
	3	चिन्यालीसौड़	81	4577
	4	नौगाँव	131	6419
	5	पुरोला	43	3449
	6	मोरी	68	5048
			508	**30962**
		योगः–	**7774**	**573050**

(₹सत्तावन करोड़ तीस लाख पचास हजार मात्र)

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Signed by C Ravi Shankar
Date: 12-09-2023 13:32:33

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/10/2023 10:19 AM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-Director Panchayati Raj(2283)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H23090070050
आवंटन पत्र दिनांक-19-SEP-2023

लेखा शीर्षक

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
00--
200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट
02-राज्य वित्त आयोग
07-क्षेत्र पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन (3604021970003 से स्थानांतरित)

Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	7

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	573050000	573050000	573050000	1146100000
योग	573050000	573050000	573050000	1146100000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.57,30,50,000 (Rupees Fifty Seven Crores Thirty Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2309:0009
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय छःमाही के लिए संक्रमित धनराशि का क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छःमाही हेतु संकमित धनराशि।
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1–अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	95	15022
	2	ताकुला	89	13735
	3	धौलादेवी	110	18391
	4	भैंसियाछाना	53	8263
	5	हवलबाग	126	20077
	6	लमगड़ा	103	16518
	7	द्वाराहाट	122	19206
	8	सल्ट	138	17820
	9	भिक्यिासैण	99	11754
	10	ताड़ीखेत	130	17233
	11	चौखुटियाँ	95	14450
		योगः–	**1160**	**172469**
2–बागेश्वर	1	कपकोट	119	25089
	2	गरूड़	102	18945
	3	बागेश्वर	182	31036
		योगः–	**403**	**75070**
3–चमोली	1	कर्णप्रयाग	94	15792
	2	जोशीमठ	58	12661
	3	दशोली	63	11668
	4	घाट	55	11284
	5	पोखरी	72	12107
	6	गैरसैण	95	17653
	7	थराली	48	8883
	8	देवाल	46	8435
	9	नारायणबगड़	79	13398
		योग–	**610**	**111881**
4–चम्पावत	1	लोहाघाट	67	10206
	2	बाराकोट	48	7988
	3	पाटी	85	14756
	4	चम्पावत	113	20445
		योग–	**313**	**53395**
5–देहरादून	1	डोईवाला	36	16536
	2	रायपुर	35	5162
	3	सहसपुर	50	18867
	4	विकासनगर	53	22871
	5	चकराता	116	15567
	6	कालसी	111	14334
		योग–	**401**	**93337**
6–हरिद्वार	1	भगवानपुर	53	30347

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/10/2023 10:17 AM

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छःमाही हेतु संक्रमित धनराशि।
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	2	खानपुर	23	8464
	3	रूड़की	43	24540
	4	नारसन	58	30419
	5	लक्सर	49	23275
	6	बहादराबाद	70	45060
		योग–	**296**	**162105**
7–नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	75	10966
	2	भीमताल	60	8798
	3	बेतालघाट	75	8698
	4	हल्द्वानी	60	14950
	5	रामनगर	53	13631
	6	रामगढ़	59	9059
	7	कोटाबाग	56	10848
	8	धारी	41	5961
		योग–	**479**	**82911**
8–पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	97	14193
	2	द्वारीखाल	97	10936
	3	दुग्गड्डा	67	7158
	4	एकेश्वर	82	9686
	5	जयहरीखाल	73	7983
	6	कल्जीखाल	87	10773
	7	खिर्सू	50	7498
	8	कोट	69	10400
	9	नैनीडांडा	88	11362
	10	रिखणीखाल	81	10186
	11	थलीसैण	103	15922
	12	यमकेश्वर	86	12262
	13	पौड़ी	63	9361
	14	पाबो	72	10808
	15	पोखड़ा	58	8630
		योग–	**1173**	**157158**
9–पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	117	21710
	2	मुनाकोट	76	15300
	3	कनालीछीना	92	16700
	4	धारचूला	62	15513
	5	पिथौरागढ़ (विण)	85	17060
	6	डीडीहाट	71	13083
	7	मुनस्यारी	99	19491
	8	बेरीनाग	84	15010
		योग–	**686**	**133867**
10–रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	159	29705
	2	जखोली	108	20603
	3	ऊखीमठ	69	13338

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/10/2023 10:17 AM

I/153353/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय छःमाही हेतु संकमित धनराशि।
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		योग–	**336**	**63646**
11–टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	118	13502
	2	कीर्तिनगर	97	14987
	3	चम्बा	104	13289
	4	देवप्रयाग	104	13222
	5	भिलंगना	182	28438
	6	थौलधार	93	13770
	7	जौनपुर	146	18805
	8	प्रतापनगर	98	15997
	9	जाखणीधार	92	14443
		योग–	**1034**	**146453**
12–ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	64	24814
	2	सितारगंज	74	25945
	3	रूद्रपुर	42	15621
	4	गदरपुर	52	19412
	5	बाजपुर	58	20257
	6	काशीपुर	33	12373
	7	जसपुर	52	18535
		योग–	**375**	**136957**
13–उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	84	15639
	2	डुण्डा	101	16407
	3	चिन्यालीसैण	81	12577
	4	नौगाँव	131	20199
	5	पुरोला	43	7135
	6	मोरी	68	12294
		योग–	**508**	**84251**
		महायोग :–	**7774**	**1473500**

(₹एक सौ सैतालीस करोड़ पैतीस लाख मात्र)

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।

Signed by C Ravi Shankar
Date: 12-09-2023 13:32:45

Generated from eOffice by BHUWAN CHANDRA SANWAL, RO-BCS-FCD, RESEARCH OFFICER, Finance Department on 06/10/2023 10:17 AM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Panchayat Raj(2283)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23090070025
आवंटन पत्र दिनांक-19-SEP-2023

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	08-ग्राम पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन (3604021980003 से स्थानांतरित)	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	8

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
69-समनुदेशन	1473500000	1473500000	0	2947000000
योग	1473500000	1473500000	0	2947000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,47,35,00,000 (Rupees One Hundred Forty Seven Crores Thirty Five Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन